न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—141 / 20 (2020 / 00284) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—देवा पुत्र सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—प्रभु पुत्र सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—प्रेमी पुत्री सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कैलाशी पुत्री सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लेहरी बेवा सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—भैरा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—प्यारा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—उदा पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नारायण पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—लछमण पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—पारस पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—घीसी पत्नि नानूराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन अन्तर्गत धारा 136 भू0रा0अ0 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित

1. सुनिल जैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. हरिश टेलर — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—21.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र 129, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है जो जैर कार्यवाही है। सरहद गोविन्दपुरा पूर्व राजस्व ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा में आराजी संख्या 169 रकबा 1.71 है0 जिसके बाद विभाजन बटा नम्बर 250 / 169, 251 / 169, 252 / 169 है जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं[illegible] दर्ज है। उक्त आराजियात के साबिक आराजी संख्या 667 / 2 है। इसी प्रक[illegible] संख्या 168 रकबा 0.22 है0 जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 [illegible] 3 के [illegible] दर्ज है जिसके साबिक आराजी संख्या 667 / 1 है। साबिक आराज[illegible] नम्बर [illegible]2 के उत्तर दिशा की ओर साबिक नक्शे में [illegible] में विपक्षी संख्या 1 [illegible]यत 3 द्वारा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलदांजी पैदा की व प्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि को अपनी होना बताया इस पर प्रार्थीगण की जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:10 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 667 / 1 जिसके नवीन नम्बर 168 है जिसको साबिक आराजी संख्या 667 / 2 के उत्तरी भू भाग पर तरमीम नही कर आराजी संख्या 667 / 2 के दक्षिणी तरफ तरमीम कर दी जो गलत तरमीम है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को तरमीम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया परन्तु विपक्षीगण इन्कार हो गये। विपक्षीगण गलत तरमीम की आड़ से विवादग्रसत आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने व आरायिजात को अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। विपक्षीगण गलत तरमीम की आड़ में प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल कर देंगे या उक्त भूमि को रहन विक्रय या स्थानान्तरण कर देगें तो प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य अनेकानेक विवाद बढ़ जायगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णय क्षति होगी मौके पर विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है सुविध व सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के निस्तारण होने तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को आराजी संख्या 168 रकबा 0.22 है0 गलत तरमीम की आड़ में मौके से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व न ही उक्त आराजी संख्या 168 को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण आदि नही करे व विपक्षीगण आराजी संख्या 168 के मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण ने अपने जवाब के अंकन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत, बेबुनियाद व आधारहीन झुठे तथ्यो पर आधारित है। विभाजन के बाद उक्त बटा नम्बर 252 / 169 रकबा 0.02 है0 देवा, प्रभु, प्रेमी, कैलाशी आत्मज सवाईराम व लेहरी बेवा सवाईराम के खाते में तथा आराजी संख्या 251 / 169 रकबा 0.84 है0 नारायण, लछमण, पारस आत्मज नानुराम व घीसी बेवा नानूराम के नाम व आराजी संख्या 250 / 169 राजु आत्मज दयाराम गुर्जर के नाम दर्ज होकर बेचान से प्रेमीदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर के नाम दर्ज हुई। आराजी संख्या 667 / 1 आराजी संख्या 667 / 2 के उत्तरी दिशा में साबिक नक्शे में तरमीमात नही थे, विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दंखलदांजी नही की, साबिक नक्शे के अनुरूप ही वर्तमान नक्शा कायम किया गया और मौके की स्थिति के अनुरूप ही नवीन नक्शा कायम किया गया। प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 168 को आराजी संख्या 169 के उत्तर दिशा में तरमीम करने का जो तथ्य रिलिफ मांगते हुए जो अकंन किया किन्तु आराजी संख्या 169 के उत्तर में आराजी संख्या 80, 244 / 179 आती है जिसके खातेदार को पक्षकार नही बनाया गया है विपक्षी संख्या 4 लगायत 7 जो आराजी संख्या 251 / 169 के खातेदार है ने दुरस्ती [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है प्रार्थीगण को दुरस्ती कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण का आराजी संख्या 168 पर कोई कब्जा नही है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही है।

साथ ही मजीद कथन [illegible] किया कि साबिक आराजी संख्या 667 / 1 और 667 / 2 का रकबा [illegible] होकर क्रमश 1 बीघा ओर 7 बीघा 18 बिस्वा था जिसका गलत तरमीमात होने का कोई कारण नही रहता है। उसके बाद उक्त नम्बरान का पक्षकारान के मध्य विभाजन ओर विभाजन अनुसार ही मौके पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 168 को दुरस्त कराना चाहा है इसको आराजी संख्या 251/169 मे तथा आराजी संख्या 244/170 व आराजी संख्या 80 में तरमीमात करना चाहा है जबकि इन आराजियात के खातेदारो की भूमि को दुरस्त कराने का प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 6 व विपक्षी संख्या 4 से 7 के नाम दर्ज नवीन खसरा नम्बर 169 जिसके हाल खसरा नम्बर 250/169, 251/169, 252/169 के साबिक खसरा नम्बर 667/2 था नवीन आराजी संख्या 168 जिसके साबिक खसरा नम्बर 667/1 था विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि को गलत तरमीम की गई मौके पर विपक्षी का कब्जा नही है और गलत तरमीम का फायदा उठाकर भूमि विकय करना चाह रहे है। भू प्रबन्ध अधिकारी से कोई गलती होती है तो धारा 136 के तहत् दुरस्ती का जाती है भू प्रबन्ध विभाग को गलत तरमीम करने का कोई अधिकार नही है विपक्षी कब्जा करने पर आमाद है इसलिये प्रार्थना 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया है गलत खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है चुंकि प्रार्थीगण प्रभावित पक्ष है बंटवाड़ा रेकार्ड में हुआ है कब्जा हमारा है मौके पर जिस प्रकार कब्जा है उसी अनुसार दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र से दोनो पक्षो का कब्जा डिस्टर्ब नही होगा। अतः मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश प्रदान कराना फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्याो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी संख्या 667/1 का रकबा प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किया आराजी संख्या 251/169 वर्तमान में नारायण, लक्ष्मण पारस वगैरा के नाम दर्ज है न्यायालय से बंटवाड़ा भी हुआ जो सही माना गया है। आराजी संख्या 168 विपक्षी संख्या 1 से 3 की है प्रार्थना पत्र खातेदार की ओर से पेश नही हुआ है आराजी सख्ंया 168 पर खातेदार का कब्जा है स्थगन नही दिया जा सकता है। न्यायालय आदेश से बंटवाड़ा हुआ है बंटवाड़े को कोई चुनौति नही दी गई और नियमित वाद नही है कब्जा विपक्षी का होने से खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रार्थी व विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि साबिक नक्शे में आराजी संख्या 667/1 आराजी संख्या 634 से लगती हुई दक्षिण की ओर तरमीम है और शेष आराजी संख्या 667/2 को साबिक [illegible] 667/1 के दक्षिण की ओर तरमीम कर रखी है आराजी संख्या 667/1 [illegible] के नवीन खसरा नम्बर मिलान क्षैत्रफल के अनुसार आराजी संख्या [illegible] 0.22 [illegible] एवं साबिक आराजी संख्या 667/2 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा के नवीन [illegible] बने जिनको नवीन नक्शे में आराजी संख्या 168 को साबिक आराजी संख्या [illegible]/2 की सीमा में एवं आराजी संख्या 169 जिसके हाल खसरा नम्बर बाद विभाजन आराजी संख्या 251 के कुछ भाग को साबिक खसरा नम्बर 667/1 की तरमीम के स्थान पर दर्शाया गया है जिससे रेकार्ड अनुसार स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित है भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा दौराने रेकार्ड संधारण के त्रुटि हुई है। वर्तमान में मौके पर नवीन रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 168 पर किसका कब्जा है इस बाबत् तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वस्तुस्थिति की जानकारी हांसिल होगी। मौका रिपोर्ट आने में एवं मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समय लगेगा दौराने वाद किसी भी पक्ष के कब्जे में कोई दखल नही हो और रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनी रहे इसके लिये कब्जे के विपरीत एवं खातेदार के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। साबिक रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया है और सुविधा का संन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर विपक्षी खातेदार द्वारा प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर दे या भूमि को रहन, बय, बक्षीस कर दे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि दोनो पक्षो के मध्य भूमि को लेकर मौके पर कोई विवाद नही हो दोनो पक्ष कानून की पेचिदगी में नही उलझे इस बात को ध्यान में रखते हुए मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना प्रकरण में आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के निस्तारण होने तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्राथीगण विरूद्व विपक्षीगण के जारी की जाती है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 168 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 250/169 रकबा 0.85 है0, 251/169 रकबा 0.84 है0, 252/169 रकबा 0.02 है0 भूमि में कोई भी पक्ष एकदुसरे के कब्जे में दखंल न तो स्वयं करे व न किसी अन्य से करावे तथा उक्त आरायिजात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे एवं उभयपक्ष रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल प्रकरण के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.01.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:10 IST
Reason: SelfAttested